रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 376] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 24, 1984/आश्विन 2, 1906
No. 376] NEW DELHI, MONDAY, SEPT. 24, 1984/ASVINA 2, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1984

सा.का.नि. 681(अ).—भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक, वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1947 के उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करता है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानवाह) तीसरा संशोधन आदेश, 1984 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. वनस्पति तेल उत्पाद (क्वालिटी के मानक) आदेश, 1975 की तीसरी अनुसूची में पैरा (7) में "ब्यूटिलित हाइड्राक्सिल और ब्यूटिलित टालूएन" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे :—

"ब्यूटिलित हाइड्राक्सिल, ब्यूटिलित टालूएन और तृतीय ब्यूटिल हाइड्रा क्विनोन"

[सं. 9-वी.पी.(1)/82]

एस. वी. एम. त्रिपाठी, भारत का वनस्पति तेल उत्पाद नियंत्रक

## MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

## ORDER

New Delhi, the 24th September, 1984

G.S.R. 681(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (1) of the Vegetable Oil Products Control Order, 1947, the Vegetable Oil Products Controller for India hereby makes the following Order further to amend the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975, namely :—

1. (1) This Order may be called the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Third Amendment Order, 1984.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Vegetable Oil Products (Standards of Quality) Order, 1975 in the Third Schedule in para (7) for the words, "Butylated Hydroxyl and Butylated Hydroxyl Toluene", the following words shall be substituted :—

"Butylated Hydroxyl, Butylated Hydroxyl Toluene and Tertiary Butyl Hydro Quinone".

[No. 9-VP(1)|82]

S. V. M. TRIPATHI, Vegetable Oil Products Controller for India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984